संख्या- 173 /2026/ 1653 /चार-2026-3060239

प्रेषक,

राज कुमार,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग **लखनऊ: दिनांक: 18 जून, 2026**

विषय:- केन्द्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर दिनांक 05 जून, 2026 से 21 जून, 2026 के मध्य, प्रदेश में समेकित जन-कल्याण एवं जन-जागरूकता अभियान के संचालन के अन्तर्गत सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन हेतु स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 663/सं0नि0-15(32)/2026-27, दिनांक 12 जून, 2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या- 274/उन्नीस-2-2026 दिनांक 01 जून, 2026 में दिये गये निर्देश के क्रम में अवगत कराया गया है कि दिनांक 17 से 20 जून, 2026 की अवधि में प्रदेश के जनपदों में आयोजित विकास प्रदर्शनियों में संस्कृति विभाग, उ०प्र० द्वारा दिनांक 17, 18 व 19 जून, 2026 को सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाना हैं। उक्त अवधि में सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों के मानदेय, यात्रा व्यय एवं अन्य व्यवस्थाओं पर अनुमानित व्यय रू0 285.25 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु अनुरोध किया गया है।

2. उपर्युक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर प्रदेश में समेकित जन-कल्याण एवं जन-जागरूकता अभियान के संचालन के अन्तर्गत दिनांक 17, 18 व 19 जून, 2026 (अर्थात् तीन दिन) को सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन हेतु प्रदेश के 75 जनपदों में प्रत्येक दिन दो पाली में कलाकार दलों (75 जनपद x 02 पाली x 3 दिन = कुल 450 कलाकार दल) की व्यवस्था के दृष्टिगत प्रस्तावित कार्यक्रम हेतु रू0 40,000/- प्रति दल की दर से **रू0 180.00 लाख (रूपये एक करोड़ अस्सी लाख मात्र)** तथा प्रति जनपद- रू0 1.00 लाख की दर से **रू0 75.00 लाख (रूपये पचहत्तर लाख मात्र) अर्थात् कुल धनराशि रू0 255.00 लाख (रूपये दो करोड़ पचपन लाख मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, रू0 180.00 लाख उ0प्र0 लोक एवं जनजाति संस्कृति संस्थान के पक्ष में तथा रू0 75.00 लाख समस्त जिला पर्यटन एवं सांस्कृतिक परिषद् के पक्ष में प्रदान करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

शर्तें / प्रतिबंध:-

(1) दिनांक 17, 18 व 19 जून, 2026 (अर्थात् तीन दिन) को न्यून कार्यक्रम प्राप्त स्थानीय कलाकार दलों (जिन्हें यात्रा व्यय प्रतिपूर्ति) नहीं की जानी है) से कार्यक्रम कराए जाएं।

(2) स्वीकृत धनराशि के आहरण/ व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2025, दिनाँक- 28-मार्च, 2026 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) निदेशक, संस्कृति निदेशालय, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य न तो पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(4) उक्त कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों का मानदेय एवं आवागमन भत्ता शासनादेश दिनांक 27.12.2022 में निहित व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

(5) उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान वास्तविक बिल/ बाउचर्स के आधार पर किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

(6) समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कर निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(7) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा।

(8) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबंध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदों पर व्यय की जायेगी, व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन धनराशियों का प्रदेशन ही अकेले किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता, व्यय करने के लिए बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों अथवा अन्य स्थाई आदेशों से शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की, जहॉ आवश्यकता हो, व्यय करने के पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

(9) संबंधित संस्था/ कलाकार द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल बाउचर के परीक्षणोपरान्त स्वीकृत धनराशि को संस्थान के बैंक खाते में समयान्तर्गत भुगतान कराने की कार्यवाही संस्कृति निदेशालय द्वारा कराते हुए यथाशीघ्र शासन को सूचित किया जायेगा।

(10) उक्त धनराशि निदेशक, संस्कृति निदेशालय के निवर्तन पर है, अत: बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व संस्कृति निदेशालय का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश संस्कृति निदेशालय द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(11) धनराशि व्यय करने में समस्त वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि स्वीकृत मदों में व्यय की जायेंगी, अन्य मदों पर व्यय हेतु कदापि उपयोग नहीं की जायेगी।

(13) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय से शासन को अवगत कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

3. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-102-कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन -19- विभिन्न अवसरों पर सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन -42-अन्य व्यय मद से वहन किया जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय- ज्ञाप संख्या - 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2025, दिनाँक- 28-मार्च, 2026 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
राज कुमार
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषद्, उत्तर प्रदेश।
4. वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
5. निदेशक, उ0प्र0 लोक एवं जनजाति संस्कृति संस्थान, लखनऊ।
6. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
राज कुमार
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in